

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/आदर्श विद्यालय/पुरस्कार/61067/2019-20/19

दिनांक:- 01-08-2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषय:- आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों को राज्य स्तरीय समारोह में प्रशंसा-पत्र प्रदान किए जाने बाबत।

प्रसंग:- शासन के पत्रांक-प.4(6) शिक्षा-1/2014 पार्ट जयपुर, दिनांक 30.07.2020 के क्रम में।

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र की अनुपालना में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के आधार पर शिक्षक दिवस (05 सितम्बर) के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के तीन-तीन संस्था प्रधानों को प्रशंसा-पत्र प्रदान किया जाना है।

पत्र के साथ संलग्न दिशा-निर्देशानुसार निर्धारित तिथि तक आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों के संस्था प्रधानों को आवेदन पत्र भरकर आपके कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निर्देशित करें। तत्पश्चात् जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांचोपरांत उपर्युक्त पाये जाने वाले आवेदन पत्रों में से वरियता वाले प्रथम तीन आदर्श एवं प्रथम तीन उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों का चयन कर उनके आवेदन पत्रों को निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर स्थित आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ में निर्धारित समयावधि तक व्यक्तिशः भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सम्मान हेतु नाम भिजवाते समय यह ध्यान में रखा जावे कि संस्था प्रधान के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं हो/विभाग द्वारा पूर्व में दण्डित नहीं किया गया हो। उपर्युक्त कार्य को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता से निर्धारित समयावधि में सम्पादित करें। साथ ही यह ज्ञात रहें कि आपकी लापरवाही के कारण यदि कोई पात्र संस्था प्रधान सम्मानित होने से वंचित रहता है तो इसके लिए आप स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेवार होंगे।

नोट:- शासन द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देश, आवेदन-पत्र एवं मूल्यांकन निर्देश विभागीय वेबसाइट:- www.education.rajasthan.gov.in/secondary (लिंक:-<https://bit.ly/3fUa49R>) पर उपलब्ध है।

संलग्न:-

1. शासन द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देश
2. आदर्श विद्यालय संस्था प्रधानों के लिए आवेदन-पत्र "परिशिष्ट-1(अ)"
3. आदर्श विद्यालय संस्था प्रधानों के लिए मूल्यांकन निर्देश "परिशिष्ट-2(अ)"
4. उत्कृष्ट विद्यालय संस्था प्रधानों के लिए आवेदन-पत्र "परिशिष्ट-1(ब)"
5. उत्कृष्ट विद्यालय संस्था प्रधानों के लिए मूल्यांकन निर्देश "परिशिष्ट-2(ब)"

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक:- 01-08-2020

क्रमांक-शिविरा-माध्य/आदर्श विद्यालय/पुरस्कार/61067/2019-20/19

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

3. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अति.आयुक्त, रास्कूलशिप., जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्राशि),राजस्थान, बीकानेर।
6. शासन उपसचिव-शिक्षा (ग्रुप-१ / २ / ५) / प्रारंभिक शिक्षा (संरथापन) / प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम / द्वितीय, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर।
9. समस्त उपायुक्त, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (कार्मिक), कार्यालय हाजा।
11. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, (स्कूल शिक्षा) को संभाग क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण,प्रभावी प्रबोधन तथा प्रचार-प्रसार हेतु।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माशि / प्राशि।
13. समस्त अति.जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
14. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा अभियान को ब्लॉक क्षेत्राधिकार के समस्त राजकीय आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय के संस्था प्रधानों को अधिकाधिक आवेदन के लिए प्रेरित करने हेतु।
15. सहायक निदेशक, माध्यमिक अनुभाग, कार्यालय हाजा।
16. सहायक निदेशक,शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
17. समस्त जिला प्रभारी गण, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ।
18. प्रभारी अधिकारी, आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्रकोष्ठ, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर।
19. समस्त पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) एवं शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सीआरसीएफ) / संस्था प्रधान।
20. समस्त संस्था प्रधान,राजकीय आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय।
21. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
22. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
23. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय के संस्था प्रधानों को प्रशंसा पत्र प्रदान करने से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देश

➤ आदर्श विद्यालय योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामीण आदर्श (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण) एवं शहरी आदर्श तथा उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अन्तर्गत चयनित (प्रथम एवं द्वितीय चरण) विद्यालयों के क्रियान्वयन के आधार पर 05 सितम्बर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के तीन-तीन संस्था प्रधानों को प्रशंसा पत्र प्रदान करने से संबंधित दिशा-निर्देश, आवेदन पत्र प्रारूप एवं मूल्यांकन निर्देश।

1. राज्य में आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत (पुर्नगठित ग्राम पंचायतों सहित) में एक विद्यालय (सामान्यतया कक्षा 1 से 12/10 का विद्यालय) को आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित करने हेतु विभाग के शासकीय आदेश क्रमांक प.4(6)शिक्षा-1/2014 दिनांक 12.05.2015 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। शहरी क्षेत्र में आदर्श विद्यालय स्थापित करने के संबंध में शासकीय आदेश क्रमांक प. 4(6) शिक्षा-1/2014 पार्ट जयपुर, दिनांक 02.05.2017 द्वारा जारी किए गए हैं।

इसी प्रकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थित एक विद्यालय (सामान्यतः कक्षा 1-8/5) को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। योजना के दिशा-निर्देश प. 17(3)/प्रा.शि./आयोजना/उत्कृष्ट वि./2016 दिनांक 23.05.2016 द्वारा जारी किए गए हैं।

2. राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इन विद्यालयों में विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं यथा पर्याप्त एवं मानदण्डानुसार शिक्षकों की व्यवस्था, आधारभूत भौतिक सुविधाएं, बालक-बालिकाओं के लिये फर्नीचर एवं खेलकूद सामग्री की व्यवस्था के साथ-साथ आई.सी.टी./ कम्प्यूटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाकर इन्हें Centre of Excellence के रूप में विकसित किया जाना है। ये आदर्श विद्यालय (ग्रामीण/शहरी) संबंधित ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के अन्य विद्यालयों के लिए मार्गदर्शी विद्यालय (Mentor School) एवं संदर्भ केन्द्र (Resource Centre) के रूप में कार्य करेंगे। उत्कृष्ट विद्यालय प्रारम्भिक शिक्षा के लिए Centre of Excellence के रूप में विकसित होंगे।

3. आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन में विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (संस्था प्रधान) की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन अधिकारियों द्वारा ही विभिन्न स्तरों/संस्थाओं एवं अभिभावकों से सहयोग प्राप्त कर विद्यालय को आदर्श/उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।

4. आदर्श विद्यालय योजना के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में (31 मार्च, 2018 तक) कुल 9895 (ग्रामीण आदर्श) एवं 281 शहरी आदर्श एवं उत्कृष्ट योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में (31 मार्च, 2018) में 9670 विद्यालयों को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। विद्यालय के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों (संस्था प्रधान) के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने एवं अच्छा कार्य करने वाले संस्था प्रधानों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के सभी जिलों में आदर्श विद्यालय योजना तथा उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन कर सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों का भी चयन किया जाना है। चयनित सर्वश्रेष्ठ तीन- तीन प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (संस्था प्रधान) को 05 सितम्बर को राज्य स्तरीय समारोह में प्रशंसा पत्र प्रदान किया जायेगा।

5. उपरोक्तानुसार चयन हेतु जिला एवं निदेशालय स्तर पर मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति तथा राज्य स्तर पर चयन समितियां निम्नानुसार गठित की जाती हैं:-

- जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति**
आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आदेश क्रमांक 6(2)प्र. सु./ग्रुप-3/2015 दिनांक 15.04.2015 एवं पुनर्गठन आदेश क्रमांक-प.6(27)प्र.सु./अनु.3/2015 जयपुर दिनांक 24.10.2018 द्वारा गठित जिला स्तरीय निष्पादक समिति।
- आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति**

| | | |
|------------|---|---|
| अध्यक्ष | - | निदेशक, मा.शि., राज., बीकानेर |
| सदस्य | - | उपायुक्त, प्रथम, रास्कूलशिप, जयपुर |
| सदस्य | - | अतिरिक्त निदेशक, प्रा.शि., राज., बीकानेर |
| सदस्य सचिव | - | संयुक्त निदेशक, (कार्मिक) मा.शि., राज., बीकानेर |
| सदस्य | - | संयुक्त निदेशक, प्रा.शि., राज., बीकानेर |
| सदस्य | - | संभागीय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), (निदेशक महोदय द्वारा रोटेशन के आधार पर नामित) |
| सदस्य | - | जिला शिक्षा अधिकारी, आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ, मा.शि., राज., बीकानेर |
| सदस्य | - | सहायक निदेशक, कार्मिक एवं माध्यमिक अनुभाग मा.शि., राज., बीकानेर |
| सदस्य | - | सहायक निदेशक, संस्थापन एवं शैक्षिक अनुभाग, प्रा.शि., राज., बीकानेर |
- राज्य स्तरीय चयन समिति**

| | | |
|------------|---|--|
| अध्यक्ष | - | शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर |
| सदस्य | - | निदेशक मा.शि., राज., बीकानेर |
| सदस्य | - | राज्य परियोजना निदेशक, रास्कूलशिप, जयपुर |
| सदस्य | - | अतिरिक्त आयुक्त, रास्कूलशिप, जयपुर |
| सदस्य | - | संयुक्त शासन सचिव, प्रा.शि. (आयो.) विभाग |
| सदस्य | - | उपशासन सचिव शिक्षा ग्रुप, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय |
| सदस्य | - | उपायुक्त प्रथम, रास्कूलशिप., जयपुर |
| सदस्य | - | अनुसंधान अधिकारी, प्रा.शि., विभाग |
| सदस्य सचिव | - | विशेषाधिकारी शिक्षा |

6 समितियों के कार्य

6.1 जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति

- जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति प्राप्त आवेदनों की प्राथमिक स्तर पर जांच करेगी एवं जांच के आधार पर उपयुक्त पाये जाने वाले आवेदनों में से वरियता वाले प्रथम तीन संस्था प्रधानों का चयन कर उनके आवेदनों को निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति को भिजवायेगी।
- जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति प्राप्त आवेदनों की गहनता से छानबीन कर आवेदक द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर मूल्यांकन के लिए निर्धारित मानदण्डानुसार अंक प्रदान करेगी।
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यों, विवरणों आदि का समिति द्वारा सत्यापन किया जावेगा। सत्यापन के लिए उपलब्ध साक्ष्यों, फोटोग्राफ्स का अवलोकन किया जावेगा। निदेशालय पर भेजे जाने वाले आवेदनों में संरक्षा प्रधान द्वारा दर्शाई गई उपलब्धि का जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में

www.rajteachers.com

गठित मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा तत्पश्चात् विद्यालय में पाई गई उपलब्धि के आधार पर निर्धारित अधिकतम 05 अंकों में से अंक प्रदान किये जायेंगे।

6.2 निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति

1. निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति, जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के पश्चात् संस्था प्रधानों के प्राप्त आवेदनों की जांच करेगी।
2. जांच के आधार पर उपयुक्त पाये जाने वाले आवेदनों में से आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रथम 10–10 संस्था प्रधानों का चयन कर उनके आवेदनों को राज्य स्तरीय चयन समिति को भिजवायेगी।
3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यों, विवरणों आदि का समिति द्वारा सत्यापन किया जाये। सत्यापन के लिए उपलब्ध साक्ष्यों, फोटोग्राफ्स का अवलोकन किया जाये।

6.3 राज्य स्तरीय चयन समिति

1. निदेशालय स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों की गहनता से छानबीन कर उपलब्धि के आधार पर दिये गये अंकों की पुनः जांच करेगी।
2. समिति द्वारा आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों को पुरस्कृत करने हेतु तीन–तीन नामों के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवायें जायेंगे।

7. आवेदन की प्रक्रिया

1. समस्त ग्रामीण एवं शहरी आदर्श विद्यालयों में कार्यरत संस्था प्रधान एवं समस्त उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत संस्था प्रधान आवेदन करने के पात्र होंगे।
2. मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2019–20 (31 मार्च, 2020) /शैक्षणिक सत्र 2019–20 तक आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के आधार पर किया जायेगा।
3. आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय संस्था प्रधान अपने आवेदन क्रमशः प्रपत्र–अ एवं ब में करेंगे (संलग्न परिशिष्ट–1 अ एवं ब)। आवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाईट education.rajasthan.gov.in पर सर्वश्रेष्ठ संस्था प्रधान को पुरस्कृत करने हेतु आवेदन पत्र "अ" व "ब" नाम से उपलब्ध रहेगा।
4. मूल्यांकन मुख्यतः समस्त आदर्श विद्यालयों (ग्रामीण व शहरी) एवं समस्त उत्कृष्ट विद्यालयों को विकसित करने व राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् की योजनाओं को राजकीय विद्यालयों में क्रियान्वयन के आधार पर होगा। आदर्श विद्यालय के संस्था प्रधानों के लिए मूल्यांकन प्रपत्र–अ तथा उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों के लिए प्रपत्र–ब रहेगा।
5. आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय के संस्था प्रधान अपना आवेदन संबंधित उपखण्ड अधिकारी की अनुशंसा के पश्चात् संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय में निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि उपरान्त प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. एक बार प्रशंसा पत्र प्राप्त विद्यालय पुनः आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।

www.rajteachers.com

7. मूल्यांकन एवं अनुशंसा समितियां आवेदनों में दर्शाई गई उपलब्धि के आधार पर अंक प्रदान करेगी। अर्जित की गई उपलब्धि के आधार पर अंक प्रदान करने के मानदण्ड (मूल्यांकन निर्देश) निर्धारित किए गए हैं, जो कि परिशिष्ट-2 "अ" एवं "ब" पर उपलब्ध है।

नोट:-1. आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए गए कार्यों, विवरणों आदि से संबंधित बिन्दुवार साक्ष्य, स्पष्ट फोटोग्राफ्स (थथा—मुख्यद्वारा के साथ विद्यालय भवन, शौचालय व्यवस्था, कक्षा—कक्ष, पेयजल व्यवस्था, खेल मैदान, इत्यादि), प्रमाण—पत्र, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विवरण इत्यादि आवश्यक रूप से संलग्न करें। साक्ष्यों के अभाव में देय अंकों की गणना नहीं की जायेगी।

2. आगामी प्रतिवर्ष संस्था प्रधानों को प्रशंसा पत्र प्रदान करने हेतु मूल्यांकन, समीक्ष्य शैक्षणिक सत्र/वितीय वर्ष की समाप्ति तक आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के आधार पर किया जायेगा। जैसे वर्ष 2021 में मूल्यांकन, शैक्षणिक सत्र/वितीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति तक आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के आधार पर किया जायेगा। इसी प्रकार समीक्ष्य शैक्षणिक सत्र/वितीय वर्ष के अनुरूप आवेदन पत्र एवं मूल्यांकन निर्देशों में भी परिवर्तन किया जायेगा।

8. आवेदन एवं मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार समय सारणी निर्धारित की जाती है:-

(05 सितम्बर, 2020 को आयोज्य राज्य स्तरीय समारोह हेतु)

| क्र. सं. | आवेदक वर्ग | आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि | जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति द्वारा जांच उपरांत आवेदनों को निदेशालय को भेजने की अंतिम तिथि | निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति द्वारा जांच उपरांत वरीयता के 10-10 आवेदनों को राज्य सरकार को भेजने की अंतिम तिथि | राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा अंतिम चयन दिनांक |
|----------|---------------|------------------------------------|---|--|--|
| 1 | संस्था प्रधान | 13.08.2020 | 19.08.2020 | 25.08.2020 | 28.08.2020 |

9. आवेदन एवं मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार समय सारणी निर्धारित की जाती है:-

(आगामी प्रतिवर्ष आयोज्य राज्य स्तरीय समारोह हेतु)

| क्र. सं. | आवेदक वर्ग | आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि | जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति द्वारा जांच उपरांत आवेदनों को निदेशालय को भेजने की अंतिम तिथि | निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति द्वारा जांच उपरांत वरीयता के 10-10 आवेदनों को राज्य सरकार को भेजने की अंतिम तिथि | राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा अंतिम चयन दिनांक |
|----------|---------------|------------------------------------|---|--|--|
| 1 | संस्था प्रधान | 20 जुलाई | 30 जुलाई | 10 अगस्त | 20 अगस्त |


निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रपत्र — अ

आदर्श विद्यालय संस्था प्रधान के लिये आवेदन पत्र

उपलब्धि के आधार पर कुल प्राप्तांक.....

1. सामान्य विवरण—

- 1.1 राजकीय विद्यालय का नाम.....
- 1.2 NIC CODE..... U-DISE CODE.....
- 1.3 विद्यालय स्तर— कक्षा 1 से 12, 6 से 12, 9 से 12, 1 से 10 अथवा 6 से 10—.....
- 1.4 विद्यालय का माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने का वर्ष—.....
- 1.5 संस्था प्रधान का नाम—.....
- 1.6 जन्मतिथि—.....
- 1.7 इस विद्यालय में संस्था प्रधान के रूप में कार्यग्रहण की तिथि—.....
- 1.8 क्या कोई विभागीय जांच लम्बित है / नहीं—.....
- 1.9 विभाग द्वारा पूर्व में दण्डित किया है / नहीं—.....

2. उपलब्धि विवरण—

2.1 अकादमिक

2.1.1 नामांकन

| कक्षा | सत्र 2018–19 का नामांकन | सत्र 2019–20 का नामांकन | प्रगति (प्रतिशत में) $C=(B-A)*100/A$ | | अंक |
|----------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-----|
| | | | A | B | |
| 1 से 5 | | | | | |
| 6 से 8 | | | | | |
| 9 से 10 | | | | | |
| 11 से 12 | | | | | |
| कला | | | | | |
| विज्ञान | | | | | |
| वाणिज्य | | | | | |
| योग | | | | | |
| महायोग | | | | | |

2.1.2 विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि (सत्र 2019–20)

| कक्षा | कुल नामांकन | परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी | परीक्षा परिणाम | | | | उत्तीर्ण प्रतिशत $G=(F*100/B)$ | अंक | प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत $I=(C*100/B)$ | अंक | गत वर्ष का परिणाम प्रतिशत में | गत वर्ष से परिणाम में वृद्धि प्रतिशत में | कुल अंक $M=(H+J)$ |
|-------|-------------|-----------------------------------|----------------|----|----------|-----------------|--------------------------------|-----|---|-----|-------------------------------|--|-------------------|
| | | | I | II | उत्तीर्ण | योग $F=(C+D+E)$ | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |

2.1.3 प्रतिभा खोज परीक्षा—

| परीक्षा का नाम | उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या | अंक |
|---|----------------------------------|-----|
| राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (प्रथम चरण) / इन्सपायर अवार्ड | | |
| राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा / इन्सपायर अवार्ड | | |
| नेशनल मेरिट कम-मीन्स स्कॉलरशिप / इन्सपायर अवार्ड | | |

3. समग्र शिक्षा अभियान एवं विद्यालय विकास:-

3.1 आधारभूत सुविधाएं—

| क्र.सं. | विवरण | स्थिति/उपलब्धता | अंक | कुल अंक |
|---------|-------------------------|--|-----|---------|
| 1 | खेल मैदान | अनुपलब्धता / भूमि आवंटन हेतु प्रकरण भेजने पर / भूमि आवंटन करवाने पर / खेल योग्य खेल मैदान की उपलब्धता | | |
| 2 | खेल सामग्री | अनुपलब्धता / उपलब्धता तथा उपयोग | | |
| 3 | पेयजल | सामान्य व्यवस्था / अच्छी व्यवस्था / बहुत अच्छी व्यवस्था | | |
| 4 | शौचालय एवं मूत्रालय | 50 से अधिक बालकों के लिये एक क्रियाशील शौचालय तथा 30 से अधिक बालकों के लिए एक मूत्रालय / 50 से कम बालकों के लिये एक क्रियाशील शौचालय तथा 30 से कम बालकों के लिए एक मूत्रालय 50 से अधिक बालिकाओं के लिये एक क्रियाशील शौचालय तथा 30 से अधिक बालिकाओं के लिए एक मूत्रालय / 50 से कम बालिकाओं के लिये एक क्रियाशील शौचालय तथा 30 से कम बालिकाओं के लिए एक मूत्रालय | | |
| 5 | विद्यालय में कक्षा-कक्ष | अपर्याप्त कक्षा-कक्ष / पर्याप्त कक्षा-कक्ष | | |
| 6 | चार दीवारी | अनुपलब्ध / अपूर्ण / पूर्ण | | |
| | कुल अंक | | | |

3.2 विद्यालय में बेसिक टेलीफोन/ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन सुविधा एवं विद्युत कनेक्शन की प्रगति :-

| क्र सं. | विवरण | हाँ/नहीं | उपलब्धि वर्ष | अंक | कुल अंक |
|---------|--------------------|----------|--------------|-----|---------|
| 1 | बेसिक टेलीफोन | | | | |
| 2 | ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन | | | | |
| 3 | विद्युत कनेक्शन | | | | |

3.3 ग्रीन बोर्ड/व्हाइट बोर्ड की स्थिति :-

| कक्षा | लक्ष्य | कक्षा-कक्षों में ग्रीन बोर्ड/व्हाइट बोर्ड की संख्या | | | उपलब्धि प्रतिशत | अंक | कुल अंक |
|-------|--------|---|------------------|-----------|-----------------|-----|---------|
| | | 2019–20 से पूर्व | 2019–20 के दौरान | कुल बोर्ड | | | |
| 1–5 | 5 | | | | | | |
| 6–8 | 3 | | | | | | |
| 9–10 | 2 | | | | | | |
| 11–12 | 2 | | | | | | |

3.4 विद्यालय परिसर सौन्दर्योक्तरण :—

| विवरण | विद्यालय रंग रोगन करवाया गया / नहीं | विद्यालय में आदर्श वाक्य / सूक्ष्मियों का लेखन करवाया गया / नहीं | आदर्श योजनानुसार नाम तथा लोगों लेखन करवाया गया / नहीं | विद्यालय परिसर स्वच्छता | कुल अंक |
|-------|-------------------------------------|--|---|-------------------------|---------|
| अंक | | | | | |

3.5 प्राथमिक कक्षाओं हेतु लहर पैटर्न पर / ABL कक्षा—कक्ष तैयार करवाने की प्रगति:—

| लहर / ABL कक्षा—कक्ष | | | |
|--|--------|---|-----|
| क्या विद्यालय में लहर पैटर्न पर / ABL कक्ष उपलब्ध है? (हाँ / नहीं) | अपूर्ण | पूर्ण सुसज्जित एवं क्रियाशील (शिक्षण में ABL किट / TLM सामग्री का उपयोग किया जा रहा है) | अंक |

3.6 विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर व्यवस्था :—

| फर्नीचर की स्थिति | | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|-----|
| कुल नामांकन | फर्नीचर की उपलब्धता | उपलब्धि का प्रतिशत $C=(B*100/A)$ | | | अंक |
| A | B | C | | | D |
| | | | | | |

3.7 विद्यालय में स्थापित कम्प्यूटर लैब की स्थिति :—

| क्र.सं. | कम्प्यूटर लैब की स्थापना आई.सी.टी. योजनान्तर्गत अथवा दानदाताओं/भासाशाहों/MLA LAD/MP LAD इत्यादि द्वारा की गयी है, का उल्लेख करें | कुल उपलब्ध कम्प्यूटरों की संख्या | क्रियाशील कम्प्यूटरों की संख्या | उपलब्धि (प्रतिशत में) $E=D*100/C$ | अंक |
|---------|--|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----|
| A | B | C | D | E | F |
| | | | | | |

3.8 राजीव गांधी केरियर गार्डेंस पोर्टल :—

| क्र.सं. | पोर्टल पर लॉग—इन हेतु पात्र विद्यार्थियों की संख्या (कक्षा 09 से 12) | पोर्टल पर लॉग—इन उपरांत लाभांवित विद्यार्थियों की संख्या | उपलब्धि प्रतिशत में $D=C*100/B$ | अंक |
|---------|--|--|---------------------------------|-----|
| A | B | C | D | E |
| | | | | |

3.9 विलक योजना :—

| क्र.सं. | विवरण | हाँ/नहीं | अंक |
|---------|------------------------|----------|-----|
| 1 | विलक योजना संचालित है? | | |

3.10 डिजीटल लिटरेसी :-

| कार्मिक | कुल संख्या | RS-CIT से प्रशिक्षित | PGDCA, MCA, BCA etc | RKCL में रजिस्टर्ड संख्या (सन्त्र 2019-20) | कुल प्रशिक्षित/रजिस्टर्ड | उपलब्धि प्रतिशत $G=F*100/B$ | अंक | कुल अंक |
|--------------------|------------|----------------------|---------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-----|---------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| शिक्षक | | | | | | | | |
| मंत्रालयिक कार्मिक | | | | | | | | |
| स्वयं | | | | | | | | |

3.11 आंगनबाड़ी :-

| क्र.सं. | विवरण | हाँ/नहीं | अंक |
|---------|--|----------|-----|
| 1 | समन्वित आंगनबाड़ी केन्द्र पर संबंधित संस्था प्रधान एवं मेन्टर टीचर द्वारा नियमित सम्बलन प्रदान किया जा रहा है। | | |

3.12 SIQE कार्यक्रम (प्राथमिक कक्षाओं को पढाने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण की प्रगति) :-

| प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों की संख्या | SIQE प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों की संख्या | उपलब्धि (प्रतिशत में) $C=B*100/A$ | अंक |
|--|---|--------------------------------------|-----|
| A | B | C | D |
| | | | |

3.13 SIQE की अवधारणा के अनुसार कक्षा-कक्ष में शिक्षण कार्य की स्थिति :-

| गतिविधि | हाँ/नहीं | अंक | कुल अंक |
|--|----------|-----|---------|
| (i)शिक्षकों द्वारा अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। | | | |
| (ii)विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो का मानदण्डानुसार संधारण। | | | |
| (iii)विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति की मॉनिटरिंग हेतु चैकलिस्ट बना दी गई है। | | | |
| (iv)सीसीई के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित प्रपत्र भरे जा रहे हैं। | | | |
| (v)विद्यालय द्वारा शैक्षिक सुधार की कार्य योजना बना ली गई है। | | | |
| (vi)पुस्तकालय एवं वाचनालय का उपयोग। | | | |

3.14 खेलकूद, सांस्कृतिक एवं विज्ञान प्रदर्शनी गतिविधियों में सहभागिता :-

| क्र.सं. | गतिविधि | राज्य में स्थान | जिले में स्थान | अंक | कुल अंक |
|---------|------------------------|-----------------|----------------|-----|---------|
| 1 | खेलकूद | | | | |
| 2 | सांस्कृतिक (कला उत्सव) | | | | |
| 3 | विज्ञान प्रदर्शनी | | | | |

3.15 (A) वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह तथा पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन (Alumni Meet)-2020 के दौरान प्राप्त राशि सहयोग (सामग्री अथवा नकद) :-

| क्र.सं. | सहयोग का प्रकार | प्राप्त राशि (2019-20) | अंक |
|---------|--|------------------------|-----|
| 1 | नकद राशि (विद्यालय हेतु) | | |
| 2 | विद्यालयों के विकास हेतु प्रदान सामग्री /कार्य हेतु घोषणा की अनुमानित राशि | | |
| 3 | विद्यार्थियों हेतु प्राप्त राशि + सामग्री की लागत राशि | | |
| 4 | अन्य योग | | |

नोट :-सहयोग में सामग्री प्राप्त होने पर उसकी अनुमानित राशि लिखें।

3.15 (B) भामाशाह/दानदाता द्वारा प्राप्त राशि सहयोग (सामग्री अथवा नकद) :-

| क्र.सं. | सहयोग का प्रकार | प्राप्त राशि (2019-20) | अंक |
|---------|------------------|------------------------|-----|
| 1 | जनसहयोग | | |
| 2 | काउड फिडिंग | | |
| 3 | भामाशाह | | |
| 4 | सी.एस.आर. योग | | |

नोट :- 1. क्र.सं. 3.15 (A) में प्राप्त राशि सहयोग को 3.15 (B) में सम्मिलित न करें।

2. सहयोग में सामग्री प्राप्त होने पर उसकी अनुमानित राशि लिखें।

विद्यालय में सी.एस.आर., भामाशाह व दानदाताओं आदि से लिये गये सहयोग का विवरण :-

| सहयोगकर्ता का नाम | | सहयोग का विवरण | | सहयोग राशि | | कार्य का विवरण जिसमें राशि का उपयोग किया गया है | |
|-------------------|--|----------------|--|------------|--|---|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3.16 विद्यार्थी एवं विद्यालय विकास कोष :-

| क्र.सं. | विद्यार्थी कोष | | | | | विकास कोष | | | | | उपलब्धि प्रतिशत $L=(E+J)*100/(D+I)$ | अंक |
|---------|----------------------------|---|------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|------------------|--|----------------------------|--|-----|
| | 01 अप्रैल 2019 को शेष राशि | प्राप्त राशि (01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक) | कुल राशि D=(B+C) | व्यय राशि (01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक) | 01 अप्रैल 2020 को शेष राशि | 01 अप्रैल 2019 को शेष राशि | प्राप्त राशि (01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक) | कुल राशि I=(G+H) | व्यय राशि (01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक) | 01 अप्रैल 2020 को शेष राशि | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

| क्र.सं. | व्यय विवरण (मद) | विद्यार्थी कोष (राशि) | विकास कोष (राशि) | योग (E=C+D) |
|---------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| A | B | C | D | E |
| 1 | फर्नीचर | | | |
| 2 | विद्यालय सौन्दर्योकरण | | | |
| 3 | आई.सी.टी. | | | |
| 4 | पेयजल | | | |
| 5 | शौचालय | | | |
| 6 | ग्रीन बोर्ड | | | |
| 7 | प्रवेशोत्सव | | | |
| 8 | योजनाओं के डिस्प्ले बोर्ड | | | |
| 9 | खेलकूद सामग्री एवं प्रतियोगितायें | | | |
| 10 | समाजोपयोगी उत्पादक कार्य(S.U.P.W.) | | | |
| 11 | पुस्तकालय | | | |
| 12 | पी.टी.ए. बैठक | | | |
| 13 | माइनर रिपेयरिंग | | | |
| 14 | विद्युत, पानी, टेलीफोन बिल का भुगतान | | | |
| 15 | अन्य | | | |

3.17 ज्ञान संकल्प पोर्टल :—

| क्र.सं. | विवरण | स्टाफ की कुल संख्या | पंजीकरण | उपलब्धि प्रतिशत (D=C*100/B) | अंक |
|---------|----------------------------|---------------------|---------|--------------------------------|-----|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | स्टाफ का पोर्टल पर पंजीकरण | | | | |

3.18 SDMC एवं PTA बैठकों के आयोजन की प्रगति :—

| | बैठकों की निर्धारित संख्या | आयोजित की गई बैठकों की संख्या | आयोजन प्रतिशत में | अंक | कुल अंक |
|------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----|---------|
| SDMC | | | | | |
| PTA | | | | | |

3.19 आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत हुई समीक्षा बैठकों में उपस्थिति (ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक) :—

| विवरण | ब्लॉक में हुई कुल बैठकों की संख्या | भागीदारी (संख्या) | उपलब्धि प्रतिशत | अंक |
|---|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| ब्लॉक में एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठकें | | | | |

3.20 विद्यालयों में विविध गतिविधियां/क्रियाकलाप/उपलब्धियां/नवाचार :—

| क्र.सं | गतिविधियां/क्रियाकलाप/उपलब्धियां/नवाचार | हाँ/नहीं | अंक | कुल अंक |
|--------|--|----------|-----|---------|
| 1 | स्मार्ट कक्षा—कक्ष / डिजिटल इंटरैक्टिव बोर्ड | | | |
| 2 | अनुपयोगी / नकारा सामान का निस्तारण | | | |
| 3 | सी.सी.टी.वी. कैमरे युक्त परिसर | | | |
| 4 | सोलर पैनल / इन्वर्टर सुविधा / जनरेटर सुविधा इत्यादि विद्युत के | | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | वैकल्पिक संसाधन | | |
| 5 | शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं निरन्तर अपडेशन | | |
| 6 | विद्यालय में स्काउट/गाईड/एनसीसी/एनएसएस इकाईयों का संचालन | | |
| 7 | विज्ञान क्लब का गठन एवं संचालन | | |
| 8 | पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हरित पाठशाला कार्यक्रम/ईको क्लब का नियमानुसार संचालन | | |
| 9 | किचन गार्डन की उपलब्धता | | |
| 10 | CWSN विद्यार्थियों के लिए रेम्प की सुविधा | | |
| 11 | मीना-राजू मंच/गार्गी मंच का नियमानुसार गठन एवं संचालन | | |
| 12 | नवाचार किया गया है, तो विवरण अंकित करें। | | |

3.21 निरीक्षण रिपोर्ट :—

| क्र.सं. | चयन समिति | स्तर (उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा) | अंक |
|---------|-----------------------|----------------------------------|-----|
| 1 | जिला स्तरीय कमेटी | | |
| 2 | निदेशालय स्तरीय कमेटी | | |
| 3 | राज्य स्तरीय कमेटी | | |

मैं घोषणा करता / करती हूं कि उपरोक्त तथ्य अभिलेख एवं मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही है। गलत पाये जाने पर मैं स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेदार रहूंगा / रहूंगी।

आवेदन पत्र अनुशंशित
हस्ताक्षर उपखण्ड अधिकारी मय नाम एवं मोहर

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय मोहर

परिशिष्ट-2 (अ)

**मूल्यांकन निर्देश (प्रपत्र –अ)
(संस्था प्रधानों के लिये)**

| क्र.सं. | उपलब्धि विवरण | अधिकतम अंक विवरण 250 | अंक |
|---------|---|--|-----|
| 1 | 2.1 अकादमिक | 2.1.1 नामांकन सत्र 2019–20 में (16 अंक) कक्षा 1 से 5(4) | |
| | i 100 तक | | 0 |
| | ii 101 से 125 तक | | 2 |
| | iii 125 से अधिक कक्षा 6 से 8 (4) | | 4 |
| | i 60 तक | | 0 |
| | ii 61 से 90 तक | | 2 |
| | iii 90 से अधिक कक्षा 9 से 10(4) | | 4 |
| | i 40 तक | | 0 |
| | ii 41 से 80 तक | | 2 |
| | iii 80 से अधिक कक्षा 11 से 12(4) | | 4 |
| | i एक संकाय में नामांकन 40 तक | | 0 |
| | ii एक संकाय में नामांकन 41 से 80 तक | | 2 |
| | iii एक संकाय में नामांकन 80 से अधिक | | 4 |
| | iv दो संकाय में नामांकन 80 तक | | 0 |
| | v दो संकाय में नामांकन 81 से 160 तक | | 2 |
| | vi दो संकाय में नामांकन 160 से अधिक | | 4 |
| | vii तीन संकाय में नामांकन 120 तक | | 0 |
| | viii तीन संकाय में नामांकन 121 से 240 तक | | 2 |
| | ix तीन संकाय में नामांकन 240 से अधिक | | 4 |
| | नोट:- माध्यमिक विद्यालय वर्ग में आवेदन की स्थिति में कक्षा 09 से 10 एवं 11 से 12 में नामांकन हेतु देय अंक मात्र कक्षा 9 से 10 में नामांकन हेतु आंकलित करते हुए कुल अंक 08 के अनुरूप आनुपातिक रूप से देय होंगे। | | |
| | 2.1.2 विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि (34) | | |
| | कक्षा 10 के लिये बोर्ड परीक्षा परिणाम (17) | | |
| | i 60 प्रतिशत तक | | 0 |
| | ii 60 प्रतिशत से अधिक व 75 प्रतिशत तक | | 2 |
| | III 75 प्रतिशत से अधिक व 90 प्रतिशत तक | | 5 |
| | iv 90 प्रतिशत से अधिक | | 7 |
| | v प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 30 प्रतिशत से कम | | 0 |
| | vi प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक | | 5 |
| | vii प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक 60 प्रतिशत तक | | 7 |
| | viii प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक | | 8 |
| | ix प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 80 प्रतिशत से अधिक | | 10 |
| | कक्षा 12 का बोर्ड परीक्षा परिणाम (17) | | |
| | i 60 प्रतिशत तक | | 0 |
| | ii 60 प्रतिशत से अधिक व 75 प्रतिशत तक | | 2 |

| | | | |
|---|--|--|----|
| | | iii 75 प्रतिशत से अधिक व 90 प्रतिशत तक | 5 |
| | | iv 90 प्रतिशत से अधिक | 7 |
| | | v प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 30 प्रतिशत से कम | 0 |
| | | vi प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक | 5 |
| | | vii प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक 60 प्रतिशत तक | 7 |
| | | viii प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक | 8 |
| | | ix प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 80 प्रतिशत से अधिक | 10 |
| | | नोट:- माध्यमिक विद्यालय वर्ग में आवेदन की स्थिति में विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि हेतु देय अंक मात्र कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा परिणाम हेतु आंकलित करते हुए कुल अंक 34 के अनुरूप आनुपातिक रूप से देय होंगे। | |
| | | 2.1.3 प्रतिभा खोज परीक्षा (12) | |
| | | एनटीएसई/इन्सपायर अवार्ड (राष्ट्रीय स्तर) (4) | |
| | | i एनटीएसई प्रथम चरण/इन्सपायर अवार्ड में एक विद्यार्थी के चयन पर | 2 |
| | | ii एनटीएसई/इन्सपायर अवार्ड एक से अधिक विद्यार्थी के चयन पर | 4 |
| | | एसटीएसई/इन्सपायर अवार्ड (राज्य स्तर) (4) | |
| | | i एसटीएसई/इन्सपायर अवार्ड में एक विद्यार्थी के चयन पर | 2 |
| | | ii एसटीएसई/इन्सपायर अवार्ड में एक से अधिक विद्यार्थी के चयन पर | 4 |
| | | एनएमएस/इन्सपायर अवार्ड (जिला स्तर) (4) | |
| | | i एनएमएस/इन्सपायर अवार्ड में एक विद्यार्थी के चयन पर | 2 |
| | | ii एनएमएस/इन्सपायर अवार्ड में एक से अधिक विद्यार्थी के चयन पर | 4 |
| 2 | 3. समग्र शिक्षा अभियान एवं विद्यालय विकास | 3.1 आधारभूत सुविधाये (26) | |
| | | खेल मैदान (05) | |
| | | i खेल मैदान की अनुपलब्धता | 0 |
| | | ii भूमि आवंटन हेतु प्रकरण भेजने पर (सक्षम अधिकारी को सम्पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित करने पर) | 1 |
| | | iii भूमि आवंटन कराने पर | 3 |
| | | iv खेल योग्य खेल मैदान की उपलब्धता | 5 |
| | | खेल सामग्री (04) | |
| | | i खेल सामग्री की अनुपलब्धता | 0 |
| | | ii खेल सामग्री की उपलब्धता तथा उपयोग | 4 |
| | | पेयजल व्यवस्था (3) | |
| | | i सामान्य व्यवस्था (टैंकर/टांका/तालाब/कुआ/इत्यादि) | 1 |
| | | ii अच्छी व्यवस्था (हेण्ड पम्प/ट्यूबवेल/नल कनेक्शन/बिजली की मोटरयुक्त टैंक/इत्यादि) | 2 |
| | | iii बहुत अच्छी व्यवस्था (जैसे:-वाटर कूलर/आर.ओ./रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इत्यादि) | 3 |
| | | शौचालय एवं मूत्रालय (10) | |
| | | i 50 से कम बालकों के लिये एक क्रियाशील शौचालय तथा 30 से कम बालकों के लिए एक मूत्रालय | 5 |
| | | ii 50 से कम बालिकाओं के लिये एक क्रियाशील शौचालय तथा 30 से कम बालिकाओं के लिए एक मूत्रालय | 5 |
| | | iii 50 से अधिक बालकों के लिये एक क्रियाशील शौचालय तथा 30 से अधिक बालकों के लिए एक मूत्रालय | 3 |
| | | iv 50 से अधिक बालिकाओं के लिये एक क्रियाशील शौचालय तथा 30 से अधिक बालिकाओं के लिए एक मूत्रालय | 3 |
| | | नोट:-शौचालय एवं मूत्रालय की गणना बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक प्रति | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>पचास / तीस पर उपलब्धता के आधार पर करनी है।</p> <p>2. क्रियाशील (Functional) का अर्थ:- बिना दूटी सीट, नियमित सफाई, पानी निकासी की कार्यशील व्यवस्था, बन्द करने लायक दरवाजा, इत्यादि।</p> <p>कक्षा कक्ष (नामांकन के अनुसार उपलब्धता) (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> i अपर्याप्त कक्षा कक्ष 0 ii पर्याप्त कक्षा कक्ष 2 <p>नोट:- कक्षा—कक्ष की गणना प्रति चालीस विद्यार्थियों पर एक कक्षा—कक्ष की उपलब्धता के आधार पर करनी है।</p> <p>चारदीवारी (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> i अनुपलब्ध 0 ii अपूर्ण (आंशिक चारदीवारी और निर्माणाधीन) 1 iii पूर्ण चारदीवारी (पक्की एवं चारदीवारी के दरवाजा लगा हुआ) 2 <p>3.2 टेलीफोन, ब्रॉडबैण्ड, विद्युतीकरण (9)</p> <ul style="list-style-type: none"> i बेसिक टेलीफोन की उपलब्धता 3 ii ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन की उपलब्धता 3 ii विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता 3 <p>3.3 ग्रीन बोर्ड/व्हाइट बोर्ड (8)</p> <ul style="list-style-type: none"> i कक्षा 1 से 5 में 80 प्रतिशत तक 0 ii कक्षा 1 से 5 में 80 प्रतिशत से अधिक 2 iii कक्षा 6 से 8 में 80 प्रतिशत तक 0 iv कक्षा 6 से 8 में 80 प्रतिशत से अधिक 2 v कक्षा 9 से 10 में 80 प्रतिशत तक 0 vi कक्षा 9 से 10 में 80 प्रतिशत से अधिक 2 vii कक्षा 11 से 12 में 80 प्रतिशत तक 0 viii कक्षा 11 से 12 में 80 प्रतिशत से अधिक 2 <p>नोट:- माध्यमिक विद्यालय वर्ग में आवेदन की स्थिति में कक्षा 09 से 10 एवं 11 से 12 में ग्रीन बोर्ड/व्हाइट बोर्ड हेतु देय अंक मात्र कक्षा 09 से 10 में ग्रीन बोर्ड/व्हाइट बोर्ड की स्थिति हेतु आंकलित करते हुए कुल अंक 04 के अनुरूप आनुपातिक रूप से देय होंगे।</p> <p>3.4 विद्यालय सौन्दर्यीकरण (08)</p> <ul style="list-style-type: none"> i विद्यालय भवन का रंग रोगन किए जाने पर 2 ii विद्यालय में आदर्श वाक्य/सूक्ष्मियों का लेखन 2 iii आदर्श विद्यालय योजनानुसार नाम तथा "लोगो" लेखन 2 iv विद्यालय परिसर स्वच्छता 2 <p>3.5 प्राथमिक कक्षाओं हेतु लहर पैटर्न पर/ABL कक्षा—कक्ष तैयार करवाने की प्रगति (4)</p> <ul style="list-style-type: none"> i लहर आधारित कक्षा—कक्ष / ABL कक्ष न होने पर 0 ii लहर आधारित कक्षा—कक्ष / ABL कक्ष अपूर्ण होने पर 2 iii लहर आधारित कक्षा—कक्ष / ABL कक्ष पूर्ण सुसज्जित एवं क्रियाशील (शिक्षण में ABL किट / TLM सामग्री का उपयोग किया जा रहा है) 4 <p>3.6 विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर व्यवस्था (04)</p> <ul style="list-style-type: none"> i विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 60 प्रतिशत तक 0 ii 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक 2 iii 80 प्रतिशत से अधिक 4 <p>3.7 विद्यालय में स्थापित कम्प्यूटर लैब (5)</p> <ul style="list-style-type: none"> i 60 प्रतिशत तक क्रियाशील कम्प्यूटर्स की उपलब्धता 0 | |
|--|--|--|

| | | |
|-----|---|---|
| | ii 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक क्रियाशील कम्प्यूटर्स की उपलब्धता | 2 |
| | iii 80 प्रतिशत से अधिक क्रियाशील कम्प्यूटर्स की उपलब्धता | 5 |
| | 3.8 राजीव गांधी केरियर गाइडेन्स पोर्टल (5) | |
| i | 40 प्रतिशत तक | 0 |
| ii | 40 प्रतिशत से अधिक 60 प्रतिशत तक | 1 |
| iii | 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक | 2 |
| iv | 80 प्रतिशत से अधिक | 5 |
| | 3.9 किलक योजना (3) | |
| i | किलक योजना का संचालन होने पर | 3 |
| | 3.10 डिजिटल लिटरेसी (5) | |
| i | RS-CIT/PGDCA/MCA/BCA अथवा समकक्ष या उच्चतर तकनीकी योग्यता | 2 |
| | • स्वयं प्रशिक्षित। | |
| ii | RS-CIT/PGDCA/MCA/BCA अथवा समकक्ष या उच्चतर तकनीकी योग्यता | 1 |
| | • विद्यालय में शिक्षक / कार्मिक प्रशिक्षित (60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक) | |
| iii | RS-CIT/PGDCA/MCA/BCA अथवा समकक्ष या उच्चतर तकनीकी योग्यता | 3 |
| | • विद्यालय में शिक्षक / कार्मिक प्रशिक्षित (80 प्रतिशत से अधिक) | |
| | 3.11 आंगनबाड़ी (2) | |
| i | समन्वित आंगनबाड़ी केन्द्र पर संबंधित संस्था प्रधान एवं मेन्टर टीचर द्वारा नियमित सम्बलन प्रदान नहीं किया जा रहा है। | 0 |
| ii | समन्वित आंगनबाड़ी केन्द्र पर संबंधित संस्था प्रधान एवं मेन्टर टीचर द्वारा नियमित सम्बलन प्रदान किया जा रहा है। | 2 |
| | नोट:- सम्बलन रिपोर्ट संलग्न करें। | |
| | 3.12 SIQE प्रशिक्षण (3) | |
| i | समस्त प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने पर | 3 |
| ii | प्रशिक्षण शेष रहने पर | 0 |
| | 3.13 SIQE कक्षा कक्ष शिक्षण (12) | |
| i | प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों द्वारा अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने पर | 2 |
| ii | विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो का मानदण्डानुसार संधारण | 2 |
| iii | विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति के लिये चैक लिस्ट बनाने पर | 2 |
| iv | सीसीई के आवश्यक प्रपत्र भरे जाने पर | 2 |
| v | शैक्षिक कार्ययोजना बनाने पर | 2 |
| vi | पुस्तकालय एवं वाचनालय का उपयोग किया जाने पर | 2 |
| | 3.14 खेलकूद, सांस्कृतिक एवं विज्ञान गतिविधियों में सहभागिता (15) | |
| | खेलकूद (5) | |
| i | किसी भी खेल में राज्य में प्रथम स्थान | 5 |
| ii | किसी भी खेल में राज्य में द्वितीय स्थान | 3 |
| iii | किसी भी खेल में जिले में प्रथम स्थान | 2 |
| | सांस्कृतिक एवं कला उत्सव (5) | |
| i | सांस्कृतिक एवं कला उत्सव में राज्य में प्रथम स्थान | 5 |
| ii | सांस्कृतिक एवं कला उत्सव में राज्य में द्वितीय स्थान | 3 |
| iii | सांस्कृतिक एवं कला उत्सव में जिले में प्रथम स्थान | 2 |
| | विज्ञान प्रदर्शनी (5) | |
| i | विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य में प्रथम स्थान | 5 |
| ii | विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य में द्वितीय स्थान | 3 |
| iii | विज्ञान प्रदर्शनी में जिले में प्रथम स्थान | 2 |

| | | |
|------|---|---|
| | 3.15 (A) वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह तथा पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन (5) | |
| i | 50 हजार से कम राशि का सहयोग | 0 |
| ii | 50 हजार से एक लाख तक राशि का सहयोग | 1 |
| iii | एक लाख से अधिक दो लाख तक राशि का सहयोग | 2 |
| iv | दो लाख से अधिक चार लाख तक राशि का सहयोग | 4 |
| v | चार लाख से अधिक राशि का सहयोग | 5 |
| | 3.15 (B) भासाशाह, दानदाता सहयोग (7) | |
| i | विद्यालय में एक से पांच लाख तक राशि का सहयोग | 2 |
| ii | विद्यालय में पांच लाख से अधिक दस लाख तक राशि का सहयोग | 5 |
| iii | विद्यालय में दस लाख से अधिक राशि का सहयोग | 7 |
| | 3.16 विद्यार्थी एवं विकास कोष (7) | |
| i | 60 प्रतिशत तक राशि का उपयोग | 0 |
| ii | 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक राशि का उपयोग | 5 |
| iii | 80 प्रतिशत से अधिक राशि का उपयोग | 7 |
| | 3.17 ज्ञान संकल्प पोर्टल (3) | |
| i | 40 प्रतिशत तक पंजीकरण | 0 |
| ii | 40 प्रतिशत से अधिक 60 प्रतिशत तक पंजीकरण | 1 |
| iii | 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक पंजीकरण | 2 |
| iv | 80 प्रतिशत से अधिक पंजीकरण | 3 |
| | 3.18 SDMC, PTA बैठक(6) | |
| | एसडीएमसी बैठक –(3) | |
| i | बैठकों का आयोजन 100 प्रतिशत | 3 |
| ii | बैठकों का आयोजन 100 प्रतिशत से कम | 0 |
| | पीटीए बैठक— (3) | |
| i | बैठकों का आयोजन 100 प्रतिशत | 3 |
| ii | बैठकों का आयोजन 100 प्रतिशत से कम | 0 |
| | 3.19 ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक '(3) | |
| i | 80 प्रतिशत तक | 0 |
| ii | 80 प्रतिशत से अधिक | 3 |
| | 3.20 विविध गतिविधियां/क्रियाकलाप/उपलब्धियां/नवाचार (23) | |
| i | स्मार्ट कक्षा–कक्ष / डिजिटल इंटरैक्टिव बोर्ड | 2 |
| ii | अनुपयोगी / नकारा सामान का निस्तारण | 2 |
| iii | सी.सी.टी.वी. कैमरे युक्त परिसर | 2 |
| iv | सोलर पैनल / इन्चर्टर सुविधा/ जनरेटर सुविधा इत्यादि विद्युत के वैकल्पिक संसाधन | 2 |
| v | शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं निरन्तर अपडेशन | 2 |
| vi | विद्यालय में स्काउट / गार्ड/ एनसीसी/ एनएसएस इकाईयों का संचालन | 2 |
| vii | विज्ञान क्लब का गठन एवं संचालन | 1 |
| viii | पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हरित पाठशाला कार्यक्रम / ईको क्लब का नियमानुसार संचालन | 2 |
| ix | किचन गार्डन की उपलब्धता | 2 |
| x | CWSN विद्यार्थियों के लिए रेम्प की सुविधा | 2 |
| xi | मीना–राजू मंच/ गार्गी मंच का नियमानुसार गठन एवं संचालन करने पर | 2 |
| xii | नवाचार | 2 |

| | | |
|-----|--|----|
| | 3.21(A) जिला कलेक्टर की अध्यक्षता मेंगठित कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर (5) | |
| i | उत्कृष्ट पाये जाने पर | 5 |
| ii | बहुत अच्छा पाये जाने पर | 3 |
| iii | अच्छा पाये जाने पर | 1 |
| | 3.21(B) निदेशालय स्तरीय गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर (10) | |
| i | उत्कृष्ट पाये जाने पर | 10 |
| ii | बहुत अच्छा पाये जाने पर | 6 |
| iii | अच्छा पाये जाने पर | 3 |
| | 3.21(C) राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा (10) | |
| i | उत्कृष्ट पाये जाने पर | 10 |
| ii | बहुत अच्छा पाये जाने पर | 6 |
| iii | अच्छा पाये जाने पर | 3 |

नोट:- आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए गए कार्यों, विवरणों आदि से संबंधित बिन्दुवार साक्ष्य, स्पष्ट फोटोग्राफ्स (यथा—मुख्यद्वार के साथ विद्यालय भवन, शौचालय व्यवस्था, कक्षा—कक्ष, पेयजल व्यवस्था, खेल मैदान, इत्यादि), प्रमाण—पत्र, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विवरण इत्यादि आवश्यक रूप से संलग्न करें। साक्ष्यों के अभाव में देय अंकों की गणना नहीं की जायेगी।

उपलब्धिवार मूल्यांकन

| क्र.सं. | उपलब्धि बिन्दु | उपलब्धि | पूर्णांक |
|---------|----------------|---|----------|
| 1 | 2.1.1 | नामांकन सत्र 2019–20 | 16 |
| 2 | 2.1.2 | विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि | 34 |
| 3 | 2.1.3 | प्रतिभा खोज परीक्षा | 12 |
| 4 | 3.1 | आधारभूत सुविधाएं | 26 |
| 5 | 3.2 | टेलीफोन, ब्रॉडबैण्ड, विद्युतीकरण | 9 |
| 6 | 3.3 | ग्रीन बोर्ड/व्हाइट बोर्ड | 8 |
| 7 | 3.4 | विद्यालय सौन्दर्यीकरण | 8 |
| 8 | 3.5 | लहर कक्ष/ABL कक्ष | 4 |
| 9 | 3.6 | विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर व्यवस्था | 4 |
| 10 | 3.7 | कम्प्यूटर लैब | 5 |
| 11 | 3.8 | राजीव गांधी केरियर गार्डेन्स पोर्टल | 5 |
| 12 | 3.9 | विलक योजना | 3 |
| 13 | 3.10 | डिजीटल लिटरेसी | 5 |
| 14 | 3.11 | आंगनबाड़ी | 2 |
| 15 | 3.12 | एसआईक्यूइं प्रशिक्षण | 3 |
| 16 | 3.13 | एसआईक्यूइं कक्षा कक्ष शिक्षण | 12 |
| 17 | 3.14 | खेलकूद, सांस्कृतिक एवं विज्ञान गतिविधियों में सहभागिता | 15 |
| 18 | 3.15 | (A) वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह तथा पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन | 5 |
| | | (B) भासाशाह दानदाता सहयोग | 7 |
| 19 | 3.16 | विद्यार्थी एवं विकास कोष | 7 |
| 20 | 3.17 | ज्ञान संकल्प पोर्टल | 3 |
| 21 | 3.18 | SDMC, PTA बैठक | 6 |
| 22 | 3.19 | ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक | 3 |
| 23 | 3.20 | विविध गतिविधियां/क्रियाकलाप/उपलब्धियां/ नवाचार | 23 |
| 24 | 3.21 | निरीक्षण रिपोर्ट (जिला/निदेशालय/राज्य स्तरीय कमेटी) | 25 |
| कुल अंक | | | 250 |

प्रपत्र - बउत्कृष्ट विद्यालय संस्था प्रधान के लिए आवेदन पत्र

उपलब्धि के आधार पर कुल प्राप्तांक.....

1. सामान्य विवरण:-

- 1.1 जिले का नाम.....
 1.2 ब्लॉक का नाम.....
 1.3 उत्कृष्ट विद्यालय का नाम.....
 NIC CODE U-DISE CODE.....
 1.4 विद्यालय स्तरः— कक्षा 1 से 5..... 1 से 8.....
 1.5 संस्था प्रधान का नाम.....
 1.6 संस्था प्रधान का मोबाइल नम्बर.....
 1.7 जन्म तिथि.....
 1.8 इस विद्यालय में संस्था प्रधान के रूप में कार्यग्रहण की तिथि.....
 1.9 क्या कोई विभागीय जॉच लम्बित है/ नहीं।
 1.10 विभाग द्वारा पूर्व में दण्डित किया है/ नहीं।

2. उपलब्धि विवरण—

अकादमिक—

2.1 विद्यालय विकास योजना की उपलब्धता :-

| अंक | |
|------|--|
| नहीं | |
| हाँ | |

2.2 नामांकन :-

| कक्षा | सत्र 2018–19 का नामांकन | सत्र 2019–20 का नामांकन | प्रगति (प्रतिशत में) $C=(B-A)*100/A$ | अंक |
|--------|-------------------------|-------------------------|---|-----|
| | | | | A |
| 1 से 5 | | | | |
| 6 से 8 | | | | |
| योग | | | | |

2.3 विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि:-

| कक्षा | कुल नामांकन | परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या | परीक्षा परिणाम (A ग्रेड प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या) | उपलब्धि प्रतिशत $D = (C * 100 / B)$ | अंक | कुल अंक |
|-------|-------------|--|--|--|-----|---------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 5 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |

3. उत्कृष्ट विद्यालय योजना एवं विकास :—

3.1 आधारभूत सुविधाएँ:—

| क्र.सं. | विवरण | स्थिति/उपलब्धता | अंक | कुल अंक |
|---------|-------------------------|---|-----|---------|
| 1 | खेल मैदान | अनुपलब्धता / भूमि आवंटन हेतु प्रकरण भेजने पर / भूमि आवंटन करवाने पर / खेल योग्य खेल मैदान की उपलब्धता | | |
| 2 | खेल सामग्री | अनुपलब्धता / उपलब्धता तथा उपयोग | | |
| 3 | पेयजल | सामान्य व्यवस्था / अच्छी व्यवस्था / बहुत अच्छी व्यवस्था | | |
| 4 | शौचालय एवं मूत्रालय | अनुपलब्धता / एक क्रियाशील शौचालय एवं एक मूत्रालय / बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक क्रियाशील शौचालय एवं मूत्रालय | | |
| 5 | विद्यालय में कक्षा-कक्ष | अपर्याप्त कक्षा-कक्ष / पर्याप्त कक्षा-कक्ष | | |
| 6 | चार दीवारी | अनुपलब्ध / अपूर्ण / पूर्ण | | |
| 7 | विद्युत कनेक्शन | अनुपलब्धता / उपलब्धता तथा क्रियाशील | | |
| 8 | आदमकद दर्पण | अनुपलब्ध / उपलब्ध | | |
| | कुल अंक | | | |

3.2 विद्यालयों में सीएसआर, भामाशाह व दानदाताओं आदि से लिए गए सहयोग का विवरण:—

| क्र.सं. | सहयोग का प्रकार | प्राप्त राशि (2019–20) | अंक |
|---------|-----------------|------------------------|-----|
| 1 | जनसहयोग | | |
| 2 | काउड फंडिंग | | |
| 3 | भामाशाह | | |
| 4 | सी.एस.आर. | | |
| | योग | | |

नोट:— सहयोग में सामग्री प्राप्त होने पर उसकी अनुमानित राशि लिखें।

विद्यालय में सी.एस.आर., भामाशाह व दानदाताओं आदि से लिये गये सहयोग का विवरण :—

| सहयोगकर्ता का नाम | सहयोग का विवरण | सहयोग राशि | कार्य का विवरण जिसमें राशि का उपयोग किया गया है |
|-------------------|----------------|------------|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3.3 विद्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटर्स की स्थिति:—

| कम्प्यूटर्स की उपलब्धता (हॉ / नहीं) | कम्प्यूटर्स की कुल संख्या | क्रियाशील कम्प्यूटर्स की संख्या | अंक |
|--|---------------------------|---------------------------------|-----|
| | | | |

3.4 विद्यालय सौन्दर्यकरण:—

| विवरण | विद्यालय भवन का रंग रोगन करवाया गया (हाँ / नहीं) | विद्यालय में आदर्श वाक्य/सूक्तियों का लेखन करवाया गया (हाँ / नहीं) | विद्यालय द्वारा पर "उत्कृष्ट विद्यालय योजना अन्तर्गत चयनित" नाम तथा "लोगो" लेखन करवाया गया (हाँ / नहीं) | विद्यालय परिसर स्वच्छता | कुल अंक |
|-------|--|--|---|-------------------------|---------|
| अंक | | | | | |

3.5 खेलकूद, विज्ञान प्रदर्शनी गतिविधियों में सहभागिता:-

| गतिविधि | राज्य में स्थान | जिले में स्थान | ब्लॉक में स्थान | अंक | कुल अंक |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|---------|
| खेलकूद | | | | | |
| विज्ञान प्रदर्शनी | | | | | |

3.6 विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था:-

| फर्नीचर की | फर्नीचर की स्थिति | | | | अंक |
|----------------------|-------------------|---|---|--------------------|-----|
| उपलब्धता (हॉ / नहीं) | कुल नामांकन | विद्यार्थियों की संख्या के 60 प्रतिशत तक उपलब्धता | 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक उपलब्धता | 80 प्रतिशत से अधिक | |
| | | | | | |

3.7 कक्षा 1 एवं 2 हेतु एबीएल कक्ष तैयार करवाने की प्रगति:-

| | | | |
|--|--------|---|-----|
| क्या विद्यालय में एबीएल कक्ष उपलब्ध है (हॉ / नहीं) | अपूर्ण | पूर्ण सुसज्जित एवं कियाशील (शिक्षण में ABL किट/TLM सामग्री का उपयोग किया जा रहा है) | अंक |
| | | | |

3.8 विद्यालयों में बेसिक टेलीफोन/ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन की स्थिति:-

| क्र.सं. | विवरण | उपलब्ध | अनुपलब्ध | अंक |
|---------|--------------------|--------|----------|-----|
| 1. | बेसिक टेलीफोन | | | |
| 2. | ब्राउडबैंड कनेक्शन | | | |

3.9 उत्कृष्ट विद्यालय योजना की समीक्षा हेतु एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठकों में संस्था प्रधान की उपस्थिति:-

| विवरण | ब्लॉक में हुई कुल बैठकों की संख्या | भागीदारी (संख्या) | उपलब्ध प्रतिशत | अंक |
|--|------------------------------------|-------------------|----------------|-----|
| ब्लॉक में एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक | | | | |

3.10 डिजीटल लिटरेसी:-

| कार्मिक | कुल संख्या | RS-CIT से प्रशिक्षित | PGDCA, MCA, BCA etc. | RKCL में रजिस्टर्ड संख्या (सत्र 2019–20) | कुल प्रशिक्षित/रजिस्टर्ड | उपलब्ध प्रतिशत $G=F*100/B$ | अंक | कुल अंक |
|--------------|------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|-----|---------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| स्वयं | | | | | | | | |
| अन्य कार्मिक | | | | | | | | |

3.11 ग्रीन बोर्ड/व्हाइट बोर्ड की स्थिति:-

| कक्षा | लक्ष्य | कक्षा—कक्षों में ग्रीन बोर्ड/व्हाइट बोर्ड की संख्या | | कुल बोर्ड | उपलब्धि प्रतिशत | अंक | कुल अंक |
|-------|--------|---|------------------|-----------|-----------------|-----|---------|
| | | 2019–20 से पूर्व | 2019–20 के दौरान | | | | |
| 1–5 | 5 | | | | | | |
| 6–8 | 3 | | | | | | |

3.12 CCE कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण की स्थिति-

| प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों की संख्या | प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों की संख्या | उपलब्धि % में | अंक |
|--|--|---------------|-----|
| | | | |

3.13 CCE की अवधारणा के अनुसार कक्षा—कक्ष में शिक्षण कार्य की स्थिति-

| गतिविधि | हाँ/नहीं | अंक |
|---|----------|-----|
| शिक्षकों द्वारा अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है | | |
| विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति की मॉनीटरिंग हेतु चैकलिस्ट बना दी गई है। | | |
| विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो का मानदण्डनुसार संधारण | | |
| सीसीई के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित प्रपत्र भरे जा रहे हैं | | |
| विद्यालय द्वारा शैक्षिक सुधार की कार्ययोजना बना ली गई है | | |
| शैक्षिक / सहशैक्षिक गतिविधियों की कार्ययोजना बना ली गई है। | | |

3.14 SMC तथा PTA बैठकों के आयोजन की स्थिति:-

| | बैठकों की निर्धारित संख्या | आयोजित की गई बैठकों की संख्या | आयोजन प्रतिशत में | अंक | कुल अंक |
|-----|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----|---------|
| SMC | | | | | |
| PTA | | | | | |

3.15 विद्यालयों में विविध गतिविधियां/क्रियाकलाप/उपलब्धियां/नवाचार :-

| क्र.सं | गतिविधियां/क्रियाकलाप/उपलब्धिया/नवाचार | हाँ/नहीं | अंक | कुल अंक |
|--------|--|----------|-----|---------|
| 1 | अनुपयोगी/नकारा सामान का निस्तारण | | | |
| 2 | शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं निरन्तर अपडेशन | | | |
| 3 | पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हरित पाठशाला कार्यक्रम/ईको क्लब का नियमानुसार संचालन | | | |
| 4 | किचन गार्डन की उपलब्धता | | | |
| 5 | CWSN विद्यार्थियों के लिए रेम्प की सुविधा | | | |
| 6 | मीना—राजू मंच का नियमानुसार गठन एवं संचालन | | | |
| 7 | नवाचार किया गया है, तो विवरण अंकित करें। | | | |

3.16 ज्ञान संकल्प पोर्टल :—

| क्र.सं. | विवरण | स्टाफ की कुल संख्या | पंजीकरण | उपलब्धि प्रतिशत (D=C*100/B) | अंक |
|---------|----------------------------|---------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | | | A B C D E |
| 1. | स्टाफ का पोर्टल पर पंजीकरण | | | | |

3.17 निरीक्षण रिपोर्टः—

| | |
|---|-----|
| जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण (5) | अंक |
| i अच्छा | |
| ii बहुत अच्छा | |
| iii उत्कृष्ट | |

3.18 निरीक्षण रिपोर्टः—

| | |
|--|-----|
| निदेशालय स्तरीय गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण (5) | अंक |
| i अच्छा | |
| ii बहुत अच्छा | |
| iii उत्कृष्ट | |

3.19 निरीक्षण रिपोर्टः—

| | |
|--|-----|
| राज्य स्तरीय गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण (10) | अंक |
| i अच्छा | |
| ii बहुत अच्छा | |
| iii उत्कृष्ट | |

मैं घोषणा करता हूं कि उपरोक्त तथ्य अभिलेख एवं मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही है।

गलत पाये जाने पर मैं स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेदार रहूंगा।

आवेदन पत्र अनुशंसित
हस्ताक्षर उपर्युक्त अधिकारी
मय नाम एवं सील

हस्ताक्षर संस्था प्रधान
मय सील

मूल्यांकन निर्देश (प्रपत्र-ब)
(संस्था प्रधानों के लिए)

| क्र. सं. | उपलब्धि विवरण | अधिकतम अंक विवरण (कुल 200) | | 200 | अंक |
|----------|--------------------------|---|--|-----|-----|
| 2 | अकादमिक | 2.1 विद्यालय विकास योजना की उपलब्धता | | 5 | |
| | i | नहीं | | | 0 |
| | ii | हाँ | | | 5 |
| | 2.2 नामांकन सत्र 2019–20 | | | 8 | |
| | | कक्षा 1 से 5 | | 4 | |
| | i | 60 तक | | | 0 |
| | ii | 61 से 100 तक | | | 2 |
| | iii | 101 से 150 तक | | | 3 |
| | iv | 150 से अधिक | | | 4 |
| | | कक्षा 6 से 8 | | 4 | |
| | i | 50 तक | | | 0 |
| | ii | 51 से 80 तक | | | 2 |
| | iii | 81 से 105 तक | | | 3 |
| | iv | 105 से अधिक | | | 4 |
| | | नोट:- प्राथमिक विद्यालय वर्ग में आवेदन की स्थिति में कक्षा 6 से 8 में नामांकन हेतु देय अंक मात्र कक्षा 1 से 5 में नामांकन हेतु आंकलित करते हुए कुल अंक 08 के अनुरूप आनुपातिक रूप से देय होंगे। | | | |
| | 2.3 | विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि | | 20 | |
| | | कक्षा-5 का परीक्षा परिणाम (प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन) | | 10 | |
| | | 50 प्रतिशत तक विद्यार्थियों द्वारा A-ग्रेड (A एवं उच्चतर ग्रेड) प्राप्त करने पर | | 2 | |
| | | 50 प्रतिशत से अधिक 65 प्रतिशत तक A-ग्रेड (A एवं उच्चतर ग्रेड) प्राप्त करने पर | | 4 | |
| | | 65 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक A-ग्रेड (A एवं उच्चतर ग्रेड) प्राप्त करने पर | | 6 | |
| | | 80 प्रतिशत से अधिक 90 प्रतिशत तक A-ग्रेड (A एवं उच्चतर ग्रेड) प्राप्त करने पर | | 8 | |
| | | 90 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों द्वारा A-ग्रेड (A एवं उच्चतर ग्रेड) प्राप्त करने पर | | 10 | |
| | | कक्षा-8 का परीक्षा परिणाम (प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र परीक्षा) | | 10 | |
| | | 50 प्रतिशत तक विद्यार्थियों द्वारा A-ग्रेड (A एवं उच्चतर ग्रेड) प्राप्त करने पर | | 2 | |
| | | 50 प्रतिशत से अधिक 65 प्रतिशत तक A-ग्रेड (A एवं उच्चतर ग्रेड) प्राप्त करने पर | | 4 | |
| | | 65 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक A-ग्रेड (A एवं उच्चतर ग्रेड) प्राप्त करने पर | | 6 | |
| | | 80 प्रतिशत से अधिक 90 प्रतिशत तक A-ग्रेड (A एवं उच्चतर ग्रेड) प्राप्त करने पर | | 8 | |
| | | 90 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों द्वारा A-ग्रेड (A एवं उच्चतर ग्रेड) प्राप्त करने पर | | 10 | |
| | | नोट:- 1 प्राथमिक विद्यालय वर्ग में आवेदन की स्थिति में विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि हेतु देय अंक मात्र कक्षा-5 में परीक्षा परिणाम हेतु आंकलित करते हुए कुल अंक 20 के अनुरूप आनुपातिक रूप से देय होंगे। | | | |
| | | 2 कोरोना महामारी (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु लॉकडाउन के कारण कक्षा क्रमोन्नति प्रावधानों में सत्र 2019–20 हेतु एकबारीय शिथिलन (One time relaxation) प्रदान करते हुए उक्त सत्र में कक्षा 01 से 08 तक के समस्त छात्र-छात्राओं को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया गया है, अतः बिन्दु संख्या 2.3 (विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि) के अंकों (कुल 20 अंक) की गणना (सिर्फ वर्ष 2020 में आयोज्य समारोह के लिए) CCE/SIQE संचालित कक्षाओं हेतु प्रथम एवं द्वितीय योगात्मक आंकलन में प्राप्त समेकित ग्रेड के आधार पर तथा शेष कक्षा-8 के लिए आयोजित प्रथम परख, द्वितीय परख, अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं तृतीय परख में प्राप्त कुल अंकों को ग्रेड में रूपान्तरित करते हुए करें। | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|----|--|
| 3 | उत्कृष्ट विद्यालय योजना एवं विकास | 3.1 | आधारभूत सुविधाएं | 37 | |
| | | 3.1.1 | खेल मैदान | 5 | |
| | | i | खेल मैदान की अनुपलब्धता | 0 | |
| | | ii | भूमि आवंटन हेतु प्रकरण भेजने पर (सक्षम अधिकारी को सम्पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित करने पर) | 1 | |
| | | iii | भूमि आवंटन करवाने पर | 3 | |
| | | iv | खेल योग्य खेल मैदान की उपलब्धता | 5 | |
| | | 3.1.2 | खेल सामग्री | 4 | |
| | | i | खेल सामग्री की अनुपलब्धता | 0 | |
| | | ii | खेल सामग्री की उपलब्धता तथा उपयोग | 4 | |
| | | 3.1.3 | पेयजल व्यवस्था | 3 | |
| | | i | पेयजल व्यवस्था न होने पर | 0 | |
| | | ii | सामान्य व्यवस्था (टैंकर / टांका / तालाब / कुआ / इत्यादि) | 1 | |
| | | iii | अच्छी व्यवस्था (हेण्ड पम्प / ट्यूबवेल / नल कनेक्शन / बिजली की मोटरयुक्त टैंक / इत्यादि) | 2 | |
| | | iv | बहुत अच्छी व्यवस्था (जैसे:-वाटर कूलर / आर.ओ./रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इत्यादि) | 3 | |
| | | 3.1.4 | शौचालय एवं मूत्रालय | 5 | |
| | | i | शौचालय एवं मूत्रालय की अनुपलब्धता | 0 | |
| | | ii | केवल एक क्रियाशील शौचालय एवं मूत्रालय | 2 | |
| | | iii | बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक क्रियाशील शौचालय एवं मूत्रालय | 5 | |
| | | नोट:- क्रियाशील (Functional) का अर्थ:- बिना टूटी सीट, नियमित सफाई, पानी निकासी की कार्यशील व्यवस्था, बन्द करने लायक दरवाजा, इत्यादि। | | | |
| | | 3.1.5 | कक्षा-कक्ष (नामांकन के अनुसार उपलब्धता) | 5 | |
| | | i | अपर्याप्त कक्षा-कक्ष | 0 | |
| | | ii | पर्याप्त कक्षा-कक्ष | 5 | |
| | | नोट:- कक्षा-कक्ष की गणना प्रति चालीस विद्यार्थियों पर एक कक्षा-कक्ष की उपलब्धता के आधार पर करनी है। | | | |
| | | 3.1.6 | चारदीवारी | 5 | |
| | | i | अनुपलब्ध | 0 | |
| | | ii | अपूर्ण (आंशिक चारदीवारी एवं निर्माणाधीन) | 2 | |
| | | iii | पूर्ण चारदीवारी (पक्की एवं चारदीवारी के दरवाजा लगा हुआ) | 5 | |
| | | 3.1.7 | विद्युत कनेक्शन | 5 | |
| | | i | अनुपलब्धता | 0 | |
| | | ii | उपलब्ध तथा क्रियाशील | 5 | |
| | | 3.1.8 | आदमकद दर्पण | 5 | |
| | | i | अनुपलब्ध | 0 | |
| | | ii | उपलब्ध | 5 | |
| | | 3.2 | सीएसआर, भामाशाह व दानदाताओं का सहयोग | 5 | |
| | | i | दानदाताओं से सहयोग प्राप्त न होने पर | 0 | |
| | | ii | विद्यालय में 50000/- तक की राशि का सहयोग | 2 | |
| | | iii | रु. 50000 से अधिक 1 लाख तक | 3 | |
| | | iv | 1 लाख से अधिक | 5 | |
| | | 3.3 | कम्प्यूटर्स की स्थिति | 5 | |
| | | i | अनुपलब्धता | 0 | |
| | | ii | विद्यालय में क्रियाशील कम्प्यूटर्स की संख्या एक तक | 3 | |
| | | iii | विद्यालय में क्रियाशील कम्प्यूटर्स की संख्या एक से अधिक | 5 | |

| | | | | |
|--|------|---|----|--|
| | 3.4 | विद्यालय सौन्दर्यीकरण | 7 | |
| | i | विद्यालय भवन का रंग—रोगन किए जाने पर | 2 | |
| | ii | विद्यालय में आदर्श वाक्य / सूक्ष्मियों का लेखन | 2 | |
| | iii | उत्कृष्ट विद्यालय योजनानुसार नाम तथा "लोगो" लेखन | 1 | |
| | iv | विद्यालय परिसर स्वच्छता | 2 | |
| | 3.5 | खेलकूद एवं विज्ञान प्रदर्शनी | 10 | |
| | | खेलकूद | 5 | |
| | i | खेलकूद में किसी भी स्तर पर चयन न होने पर | 0 | |
| | ii | किसी भी खेल में ब्लॉक स्तर पर स्थान | 2 | |
| | iii | किसी भी खेल में जिला स्तर पर स्थान | 3 | |
| | iv | किसी भी खेल में राज्य स्तर पर स्थान | 5 | |
| | | विज्ञान प्रदर्शनी | 5 | |
| | i | विज्ञान प्रदर्शनी में किसी भी स्तर पर चयन न होने पर | 0 | |
| | ii | विज्ञान प्रदर्शनी में ब्लॉक स्तर पर स्थान | 2 | |
| | iii | विज्ञान प्रदर्शनी में जिला स्तर पर स्थान | 3 | |
| | iv | विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य स्तर पर स्थान | 5 | |
| | 3.6 | विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था | 5 | |
| | i | विद्यालय में फर्नीचर न होने पर | 0 | |
| | ii | विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 60 प्रतिशत तक | 2 | |
| | iii | 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक | 3 | |
| | iv | 80 प्रतिशत से अधिक | 5 | |
| | 3.7 | एबीएल कक्षा—कक्ष की स्थिति | 5 | |
| | i | एबीएल कक्ष न होने पर | 0 | |
| | ii | अपूर्ण | 2 | |
| | iii | पूर्ण सुसज्जित एवं क्रियाशील (शिक्षण में ABL किट / TLM सामग्री का उपयोग किया जा रहा है) | 5 | |
| | 3.8 | बेसिक टेलीफोन / ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन की उपलब्धता | 6 | |
| | | बेसिक टेलीफोन | 3 | |
| | i | अनुपलब्ध | 0 | |
| | ii | उपलब्ध | 3 | |
| | | ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन | 3 | |
| | i | अनुपलब्ध | 0 | |
| | ii | उपलब्ध | 3 | |
| | 3.9 | एसडीएम द्वारा ब्लॉक पर ली गई समीक्षा बैठकों में संस्था प्रधान की उपस्थिति | 5 | |
| | i | 60 प्रतिशत तक | 0 | |
| | ii | 60 प्रतिशत से अधिक | 5 | |
| | 3.10 | डिजीटल लिटरेसी | 10 | |
| | | RS-CIT/PGDCA/BCA/MCA अथवा समकक्ष या उच्चतर तकनीकी योग्यता स्वयं प्रशिक्षित | 5 | |
| | i | नहीं | 0 | |
| | ii | हैं | 5 | |
| | | RS-CIT/PGDCA/BCA/MCA अथवा समकक्ष या उच्चतर तकनीकी योग्यता विद्यालय कार्मिक प्रशिक्षित | 5 | |
| | i | 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक प्रशिक्षित | 2 | |
| | ii | 80 प्रतिशत से अधिक प्रशिक्षित | 5 | |

| | | | | |
|--|------|---|----|--|
| | | 3.11 ग्रीन बोर्ड/व्हाइट बोर्ड की स्थिति | 10 | |
| | | कक्षा 1 से 5 | 5 | |
| | i | 80 प्रतिशत तक | 0 | |
| | ii | 80 प्रतिशत से अधिक | 5 | |
| | | कक्षा 6 से 8 | 5 | |
| | i | 80 प्रतिशत तक | 0 | |
| | ii | 80 प्रतिशत से अधिक | 5 | |
| | | नोट:- प्राथमिक विद्यालय वर्ग में आवेदन की स्थिति में ग्रीन बोर्ड/व्हाइट बोर्ड की स्थिति हेतु देय अंक मात्र प्राथमिक कक्षा (01-05) में ग्रीन बोर्ड/व्हाइट बोर्ड की स्थिति हेतु आंकलित करते हुए कुल अंक 10 के अनुरूप आनुपातिक रूप से देय होंगे। | | |
| | 3.12 | सीसीई शिक्षक प्रशिक्षण | 3 | |
| | i | 50 प्रतिशत तक प्रशिक्षित शिक्षक | 0 | |
| | ii | 50 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक प्रशिक्षित शिक्षक | 2 | |
| | iii | 80 प्रतिशत से अधिक 100 प्रतिशत तक प्रशिक्षित शिक्षक | 3 | |
| | 3.13 | सीसीई अवधारणा के अनुसार कक्षा कक्ष में शिक्षण की स्थिति | 12 | |
| | | शिक्षकों द्वारा अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है | 2 | |
| | i | नहीं | 0 | |
| | ii | हॉ | 2 | |
| | | विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति की मॉनीटरिंग हेतु चैक लिस्ट बना दी गई है | 2 | |
| | i | नहीं | 0 | |
| | ii | हॉ | 2 | |
| | | विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो का मानदण्डानुसार संधारण | 2 | |
| | i | नहीं | 0 | |
| | ii | हॉ | 2 | |
| | | सीसीई के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित प्रपत्र भरे जा रहे हैं | 2 | |
| | i | नहीं | 0 | |
| | ii | हॉ | 2 | |
| | | विद्यालय द्वारा शैक्षिक सुधार की कार्य योजना बना ली गई है | 2 | |
| | i | नहीं | 0 | |
| | ii | हॉ | 2 | |
| | | शैक्षिक/सहशैक्षिक गतिविधियों की कार्य योजना बना ली गई है | 2 | |
| | i | नहीं | 0 | |
| | ii | हॉ | 2 | |
| | 3.14 | एसएमसी/पीटीए बैठकों का आयोजन | 5 | |
| | i | बैठकों का आयोजन नहीं किया गया | 0 | |
| | ii | बैठकों का आयोजन 50 प्रतिशत से कम | 2 | |
| | iii | बैठकों का आयोजन 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक | 3 | |
| | iv | बैठकों का आयोजन 80 प्रतिशत से अधिक | 5 | |
| | 3.15 | विद्यालयों में विविध गतिविधियां/क्रियाकलाप/उपलब्धियां/ नवाचार | 17 | |
| | i | अनुपयोगी/नकारा सामान का निस्तारण | 2 | |
| | ii | शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं निरन्तर अपडेशन | 5 | |
| | iii | पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हरित पाठशाला कार्यक्रम/ईको वलब का नियमानुसार संचालन | 2 | |
| | iv | किचन गार्डन की उपलब्धता | 2 | |
| | v | CWSN विद्यार्थियों के लिए रेम्प की सुविधा | 2 | |

| | | | | |
|--|-------------|--|----|----|
| | vii | मीना—राजू मंच का नियमानुसार गठन एवं संचालन | | 2 |
| | viii | नवाचार | | 2 |
| | 3.16 | ज्ञान संकल्प पोर्टल | 5 | |
| | i | 40 प्रतिशत तक पंजीकरण | | 0 |
| | ii | 40 प्रतिशत से अधिक 60 प्रतिशत तक पंजीकरण | | 2 |
| | iii | 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक पंजीकरण | | 3 |
| | iv | 80 प्रतिशत से अधिक पंजीकरण | | 5 |
| | 3.17 | निरीक्षण रिपोर्ट (जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण) | 5 | |
| | i | अच्छा | | 2 |
| | ii | बहुत अच्छा | | 3 |
| | iii | उत्कृष्ट | | 5 |
| | 3.18 | निदेशालय स्तरीय गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर | 5 | |
| | i | अच्छा | | 2 |
| | ii | बहुत अच्छा | | 3 |
| | iii | उत्कृष्ट | | 5 |
| | 3.19 | राज्य स्तरीय गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर | 10 | |
| | i | अच्छा | | 3 |
| | ii | बहुत अच्छा | | 5 |
| | iii | उत्कृष्ट | | 10 |

नोट:- आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए गए कार्यों, विवरणों आदि से संबंधित बिन्दुवार साक्ष्य, स्पष्ट फोटोग्राफ्स (यथा—मुख्यद्वार के साथ विद्यालय भवन, शौचालय व्यवस्था, कक्षा—कक्ष, पेयजल व्यवस्था, खेल मैदान, इत्यादि), प्रमाण—पत्र, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विवरण इत्यादि आवश्यक रूप से संलग्न करें। साक्ष्यों के अभाव में देय अंकों की गणना नहीं की जायेगी।

उपलब्धिवार मूल्यांकन

| क्र.सं. | उपलब्धि बिन्दु | उपलब्धि | पूर्णांक |
|----------------|----------------|--|------------|
| 01 | 2.1 | विद्यालय विकास योजना की उपलब्धता | 5 |
| 02 | 2.2 | नामांकन सत्र 2019–20 | 8 |
| 03 | 2.3 | विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि | 20 |
| 04 | 3.1.1 | खेल मैदान | 5 |
| 05 | 3.1.2 | खेल सामग्री | 4 |
| 06 | 3.1.3 | पेयजल व्यवस्था | 3 |
| 07 | 3.1.4 | शौचालय एवं मूत्रालय | 5 |
| 08 | 3.1.5 | कक्षा—कक्ष | 5 |
| 09 | 3.1.6 | चारदीवारी | 5 |
| 10 | 3.1.7 | विद्युत कनेक्शन | 5 |
| 11 | 3.1.8 | आदमकद दर्पण | 5 |
| 12 | 3.2 | सीएसआर, भामाशाह व दानदाताओं का सहयोग | 5 |
| 13 | 3.3 | कम्प्यूटर्स की स्थिति | 5 |
| 14 | 3.4 | विद्यालय सौन्दर्यीकरण | 7 |
| 15 | 3.5 | खेलकूद एवं विज्ञान प्रदर्शनी | 10 |
| 16 | 3.6 | विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था | 5 |
| 17 | 3.7 | एबीएल कक्षा—कक्ष की स्थिति | 5 |
| 18 | 3.8 | बेसिक टेलीफोन/ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन की उपलब्धता | 6 |
| 19 | 3.9 | एसडीएम द्वारा ब्लॉक पर ली गई समीक्षा बैठकों में संस्था प्रधान की उपस्थिति | 5 |
| 20 | 3.10 | डिजीटल लिटरेसी | 10 |
| 21 | 3.11 | ग्रीन बोर्ड/व्हाइट बोर्ड की स्थिति | 10 |
| 22 | 3.12 | सीसीई शिक्षक प्रशिक्षण | 3 |
| 23 | 3.13 | सीसीई अवधारणा के अनुसार कक्षा कक्ष में शिक्षण की स्थिति | 12 |
| 24 | 3.14 | एसएमसी/पीटीए बैठकों का आयोजन | 5 |
| 25 | 3.15 | विद्यालयों में विविध गतिविधियां/क्रियाकलाप/उपलब्धियां/ नवाचार | 17 |
| 26 | 3.16 | ज्ञान संकल्प पोर्टल | 5 |
| 27 | 3.17 | निरीक्षण रिपोर्ट (जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण) | 5 |
| 28 | 3.18 | निदेशालय स्तरीय गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर | 5 |
| 29 | 3.19 | राज्य स्तरीय गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर | 10 |
| कुल अंक | | | 200 |